

## सुरक्षा शाखा

### I. परिचय :

नांदेड मंडल की सुरक्षा शाखा के प्रमुख, मंडल सुरक्षा आयुक्त है जिनकी सहायतार्थ एक सहायक सुरक्षा आयुक्त है जिनका मुख्यालय नांदेड में है

### II अपराध की स्थिति :

- रे सं (अ.क.) अधिनियम के अंतर्गत निष्पादन.

कैलेंडर वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या	वसूल की गई संपत्ति का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	
			ओएस	आरई
2009	33	163536	59	0
2010	39	295666	69	01
2011	46	217321	63	0

• रेल अधिनियम के अंतर्गत निष्पादन :

Nature of offence & Section under Railway Act	2009		2010		2011	
	No. of cases	Amount realized	No. of cases	Amount realized	No. of cases	Amount realized
Alarm Chain Pulling (Sec- 141)	30	11300	60	28000	76	28600
Touting Activities (Sec-143)	00	00	02	00	03	00
Un-authorized Hawking (Sec-144[1])	1284	410770	843	386600	729	322700
Drunkenness or Nuisance (Sec-145)	174	39250	197	38500	329	43900
Tress Pass (Sec-147)	535	120450	948	149950	1901	287030
Endangering safety of person raveling by rash (Sec-154)	05	00	02	2300	05	500
Unauthorized entry into reserved compartment (Sec-155)	83	21800	21	10200	06	2750
Travelling on Roof (Sec-156)	241	44700	237	38940	683	74675
Wrong Parking (Sec-159)	418	174500	257	144450	91	32450
Opening or breaking a level crossing gate (Sec-160)	05	00	07	00	06	00
Unauthorized entry in female compartment (Sec-162)	41	8700	19	2900	235	29100
Unlawfully bringing dangerous goods (Sec-164)	03	150	01	00	00	00
Smoking (Sec-167)	974	90775	995	95295	576	60225
Drunken condition (Sec-172)	03	300	01	500	00	00
Obstructing running of trains a) By squatting and Rail Roko (Sec-174 (c )	37	4000	38	6000	51	28700
b) Sec. (174 a)	06	2600	03	00	10	00
c) Sec (174 b)	02	00	02	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>3841</b>	<b>929295</b>	<b>3633</b>	<b>903635</b>	<b>4701</b>	<b>910630</b>

• रेल अधिनियम के अंतर्गत निष्पादन :

CALENDAR YEAR	ACP (Sec-141)	Unauthorized entry into Ladies Coach (Sec-162)	Unauthorized entry into Reserved Coaches (Sec-155)
<b>2009</b>	30	41	83
<b>2010</b>	60	19	21
<b>2011</b>	76	235	06

YEAR	Travelling on Roof (Sec-156)	Tress Passing (Sec-147)	Obstructing Running of trains {Sec-174(c)}
2009	241	535	37
2010	237	948	38
2011	683	1901	51

## II. रेल संपत्ति के खिलाफ अपराध :

- बुक किए गए परेषण :

Calendar Year	No. of Cases regd.	Value of property stolen	No. of cases detected	Value of property recovered	Person arrested	No. of cases under enquiry	Value of property
2009	01	1000	01	1000	04	Nil	Nil
2010	Nil	--	--	--	--	--	--
2011	02	26000	02	26000	02	--	--

- रेल सामग्री :

Calendar Year	No. of Cases regd.	Value of property stolen	No. of cases detected	Value of property recovered	Person arrested	No. of cases under enquiry	Value of property
2009	52	278901	52	188764	40	--	--
2010	67	220198	66	201060	67	01	4000
2011	49	177625	45	142821	49	04	27150

## III. टिकट जांच में रेसुब की सहायता:

Calendar Year	Persons apprehended	Fine released Through EFT
2009	1259	266289
2010	750	205819
2011	1926	704556

**IV. यात्री सामान की चोरी :**

**2011**

SL No.	No of cases reported from the trains escorted by RPF	No of cases in which criminals apprehended	No. of persons apprehended
1	28	03	04

**2011**

SL No.	No of cases reported from the Non-Escorted trains by RPF	No. of persons apprehended
1	87	10

**V. जंजीर खिंचने के मामले :**

**2011**

Sl. No.	Total No. of ACP incidents	No. of cases booked by RPF train escorting staff/Ambush checks	Fine amount realized (Rs)	No. of cases reported in non escorting trains
01	134	76	28600	58

**VI. अप्रिय घटना के दावों के मामले :**

**2011**

SL No.	No of cases reported	No of cases submitted to CCO/SC
1	55	44

**VII. रेल संपत्ति की क्षति के मामले :**

• **समपारों पर**

Calendar Year	No. of incidents reported	No. of cases registered	No. of cases			
			Challanned	Under enquiry	Disposed by courts	Under trial
2009	11	11	02	04	02	03
2010	26	26	--	09	03	14
2011	26	26	--	20	--	06

• **कार्यस्थलों पर**

Calendar Year	No. of incidents reported	No. of cases registered	No. of cases			
			Challanned	Under enquiry	Disposed by courts	Under trial
2009	20	20	01	10	02	07
2010	16	15	01	10	--	05
2011	25	25	05	10	--	10

**VIII. वर्ष 2011 के दौरान रेसुब द्वारा किया गया अच्छा कार्य:**

प्रतिदिन 15 यात्री वाहक गाड़ियाँ और नांदेड , परभनी, जालना, औरंगाबाद और अकोला स्टेशनों के परिचलन क्षेत्रों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है.

**दलाली के मामले**

1. दिनांक 05.01.2011 को निरी/रेसुब/औरंगाबाद ने अपनी टीम के साथ औरंगाबाद स्टेशन पर एक रेलवे आरक्षण टिकट के साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया और रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपराध सं. 04/11 दर्ज किया गया.
2. दिनांक 08.03.2011 को उपनिरी/रेसुब/औरंगाबाद ने अपनी टीम के साथ औरंगाबाद स्टेशन पर रेलवे आरक्षण टिकटों के साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया और रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपराध सं. 289/11 दर्ज किया गया.
3. दिनांक 10.05.2011 को सउपनिरी/सुब/नांदेड ने सतर्कता निरीक्षक/सिकंदराबाद की सहायता की और मुदखेड रेलवे स्टेशन पर एक दलाल को गिरफ्तार किया गया इसके पास 40,000/- रु नकद , 24164/- रु मूल्य के 08 आरक्षित टिकट जप्त किए गए और रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपराध सं. 280/11 दर्ज किया गया.इसके बाद दिनांक 27.5.2011 को मुदखेड स्टेशन के बुकिंग लिपिक श्री बी.श्रिनिवास राव को उकसाने के लिए इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया.

## बच्चों को छुड़ाना

- 1) दिनांक 20.05.2011 को कुछ यात्रियों ने एक शारिरिक रूप से विकलांग बच्चे को निरी रेसुब / पूर्णा को सौंप दिया. निरी रेसुब / पूर्णा ने फोन पर उस बच्चे के रिश्तेदार से फोन पर संपर्क किया और उसे उसके माँ बाप को लौटाया.
- 2) दिनांक 19.6.2011 को रेसुब / औरंगाबाद के कर्मचारियों ने जालना के एक 16 वर्षीय लडके प्रकाश वाघमारे को पकडा जो प्लैटफार्म पर आवारागर्दी कर रहा था. निरी सुब / औरंगाबाद ने उस बच्चे को उसके माँ बाप को लौटाया.

## सागवान लकडी को जप्त करना.

दिनांक 08.09.2011 को उप निरी सुब / अदिलाबाद ने अपने कर्मचारियों के साथ अदिलाबाद स्टेशन पर गाडी सं.57553 से लकडी के 10 बंडल जप्त किए. उप निरी सुब/ अदिलाबाद एवं स्टेशन अधीक्षक अदिलाबाद ने इस लकडी की 400/- रु की निलामी की और इसे बुकिंग कार्यालय अदिलाबाद में जमा किया.

## IX यात्री सुरक्षा जागरुकता अभियान

1. दिनांक 31.08.2011 को मंडल सुरक्षा आयुक्त नांदेड ने वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक / नांदेड , निरी सुब / नांदेड , स्टेधी नांदेड , उप स्टेधी /वाणिज्य/ नांदेड के साथ नांदेड रेलवे स्टेशन पर यात्री जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें यात्रियों को संबोधित और शिक्षित किया.
2. दिनांक 30.10.2011 को मंडल सुरक्षा आयुक्त नांदेड ने स्टेधी / जालना , संइंजी/ जालना , सरेपु/ जालना, मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक / जालना , निरी सुब / औरंगाबाद , उपनिरी सुब / जालना के कर्मचारियों के साथ जालना स्टेशन पर यात्री सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाया और यात्रियों को शिक्षित किया तथा उनमें जागरुकता की भावना पैदा की.
3. दिनांक 02.11.2011 को मंडल सुरक्षा आयुक्त नांदेड ने सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी / पूर्णा , कार्यनिरीक्षक / पूर्णा, स्वास्थ्य निरीक्षक/ पूर्णा, निरीसुब / पूर्णा और सरेपु/ पूर्णा के कर्मचारियों के साथ पूर्णा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा जागरुकता अभियान आयोजित किया और यात्रियों को शिक्षित किया तथा उनमें जागरुकता की भावना पैदा की.
4. दिनांक 24.11.2011 को मंडल सुरक्षा आयुक्त नांदेड ने वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी नांदेड , वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक / नांदेड, यातायात निरीक्षक/ अकोला, स्टेधी /अकोला , सेइंजी / स व माडि / अकोला और निरी सुब / अकोला तथा उनके कर्मचारियों के साथ यात्री सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाया जिसमें यात्रियों को शिक्षित किया तथा उनमें जागरुकता की भावना पैदा की.
5. दिनांक 17.12.2011 को मंडल सुरक्षा आयुक्त नांदेड ने निरी सुब / नांदेड , स्टेधी नांदेड , उप स्टेधी /वाणिज्य/ नांदेड, पीआई/जीआरपी/नांदेड तथा उनके कर्मचारियों के साथ नांदेड

रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाया जिसमें यात्रियों को संबोधित और शिक्षित किया.

## **ढोंगी टीटीई :**

दिनांक 8.10.2011 को उप निरी सुब / नांदेड ने अपने कर्मचारियों के साथ राजेश पंडितराव लोंढे आयु 35 वर्ष , निवासी रमाबाई अंबेडकर नगर निजामाबाद, नामक एक ढोंगी टीटीई को नांदेड रेलवे स्टेशन पर पकड लिया और सरेपु / नांदेड को सौंप दिया . इस संबंध में सरेपु / नांदेड ने रेल अधिनियम की धारा 170 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध सं. 90/11 एक मामला दर्ज किया.

## **मित्र योजना**

दिनांक 30.12.2011 को मंडल सुरक्षा आयुक्त नांदेड ने रेसुब छावनी नांदेड पर रेसुब मित्र योजना के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की . सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि रेलों पर अपराधों की पहचान करने और उसे नियंत्रित करने के लिए जब कभी रेसुब को आवश्यकता होगी तो वे अपनी सहायता करने सदैव तत्पर रहेंगे और उपस्थित सभी सदस्यों को रेसुब मित्र योजना के उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त से समझाया गया.

\* \* \* \*